

क्र.167(2)/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि. 17/2023/9257 भोपाल, दिनांक : 06/10/2023

// संशोधित आदेश //

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा सहायक यंत्री (सिविल) के लिए जारी नियुक्ति आदेश क्र.231/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि.17/2023/8867, दिनांक 04.10.2023 के सरल क्र.4 " श्री हेमंत मांदयनिया, 19/2, अवंतीपुरा अंकपत मार्ग, जिला उज्जैन-456006" एवं सरल क्र.6 पर नियुक्त अभ्यर्थी "सुश्री अनमोल सोनी, बी-47, मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड भोपाल- 462023" की नियुक्ति म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 04 जनवरी, 2020 द्वारा निर्धारित मॉडल रॉस्टर में संवर्गवार आरक्षित प्रतिशत अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% अनुसार की गई थी।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 को माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 6036/2023 दीपक एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय प्रधान पीठ जबलपुर द्वारा समविषयक याचिका क्रमांक WP 5901/2019 अशिता दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2019 के आधार पर अंतरिम आदेश दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है जिसका अनुपालन योग्य भाग निम्नानुसार है :-

" In similar writ petition No. 5901/2019, the Principal Seat, vide order dated 19.03.2019, had granted interim protection to the petitioner therein. In view of the aforesaid, it is directed that the respondents shall not provide reservation of more than 14% for OBC category to the posts of Sub-Engineer, Draftsman, Samaypal and other equivalent posts for Group-3, which is subject matter of this petition."

अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण या 14 प्रतिशत आरक्षण देय होगा, के संदर्भ में श्री बी.डी. सिंह, उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 12.06.2023 को दिए गए अभिमत का संक्षिप्त सार यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत के अनुसार आरक्षण देय होगा। तदनुसार म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक -एफ.3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD), भोपाल दिनांक 26 जून, 2023 आदेश जारी किये गये।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.03.2023 के अनुपालन एवं उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए अभिमत के परिपालन में एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा सहायक यंत्री (सिविल) के पदों में चयनित अभ्यर्थियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चयन 27% के स्थान पर 14% आरक्षण अनुसार की जाकर "सुश्री अनमोल सोनी, बी-47, मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड भोपाल- 462023" का नाम विलोपित करते हुए संशोधित नियुक्ति अधोलिखित है :-

क्र	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थल
1	श्री दीपक गर्ग	म.न. 65/19, स्कीम नं.19, अभिनंदन होटल के पास, जिंद, जिला-जिंद, हरियाणा, पिनकोड- 126102	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 21, अरेरा हिल्स, भोपाल
2	श्री राजेन्द्र जाट	मुन्दियरों का बस, मेन रोड, ग्राम/पोस्ट-साथिन, पिपाड़ सिटी, जोधपुर, राजस्थान, पिनकोड- 342601	अनारक्षित	
3	सुश्री सुशान्तिका सिंह	490/8, कल्पतरु, आनन्दनगर, जिला-रीवा (म.प्र.), पिनकोड- 486001	अनारक्षित (महिला क्षैतिज आरक्षण)	
4	श्री हेमंत मांदयनिया	19/2, अवन्तीपुरा, अंकपतमार्ग, जिला-उज्जैन (म.प्र.), पिनकोड- 456006	अन्य पिछड़ा वर्ग	
5	श्री विनीत हरियाले	241, राजौरा रोड, भिलादियां कलां, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.), पिनकोड- 461223	अनुसूचित जाति	
6	श्री महेंद्र सिंह उइके	बीएसएनएल टावर के पास, माता मोहल्ला, भौरा, जिला-बैतूल(म.प्र.), पिनकोड- 460440	अनुसूचित जनजाति	
7	श्री आयुष बमनके	म.न. 50बी, बालाजी हिल्स कॉलोनी, मण्डी रोड, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.), पिनकोड- 451111	अनुसूचित जनजाति (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी/ 3-2/97/3/ एक, भोपाल, दिनांक 10/18 फरवरी, 1997 की कण्डिका क्र.5 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, महिला क्षैतिज आरक्षण के महिला अभ्यर्थी चयनित न होने के कारण उसी वर्ग के पुरुष का चयन किए जाने से इस अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा रही है।)	

निगम मुख्यालय, भोपाल द्वारा सहायक यंत्री (सिविल) के लिए जारी नियुक्ति आदेश क्र.231/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि.17/2023/8867, दिनांक 04.10.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।

(सी.एस. धुर्वे)

कार्यकारी संचालक

भोपाल, दिनांक: /10/2023

पू.क्र.167(2)/एमपीआईडीसी/स्था.-से.नि. 17/2023/
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा।
3. मुख्य अभियंता/मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
4. महाप्रबन्धक, (स्थापना/प्रशासन), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
5. श्री/सुश्री की ओर पालनार्थ।
6. सुश्री अनमोल सोनी, बी-47, मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड भोपाल (म.प्र.), पिनकोड - 462023 की ओर पालनार्थ प्रेषित।

कार्यकारी संचालक